हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

ईमेल/Email : affiliationsectionhnbgu@gmail.com

पत्रांक : हे॰न॰ब॰ग॰वि॰वि॰/मान्यता/2025/366 दिनांक : 13/11/2025

सेवा में,

प्राचार्य/निदेशक/सचिव
नालन्दा कालेज ऑफ एजूकेशन,
मियांवाला तिराहा हरिद्वार रोड, देहरादून।

विषयः– सत्र 2025–26 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण/निरन्तरता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक **सत्र 2025–26** के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु विश्वविद्यालय सम्बद्धता पोर्टल पर आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा गठित औचक निरीक्षण समिति की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2025 एवं सम्बद्धता मानकों की पूर्ति हेतु आपके द्वारा निरीक्षण समिति को उपलब्ध कराये गये 28/31 बिन्दुओं के शपथ–पत्र तथा निरीक्षण समिति द्वारा कालेज/संस्थान में अंकित की गयी कमियों/सुझावों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय सम्बद्धता स्टैडिंग समिति की अनुशंसा दिनांक 15.10.2025 एवं 30.10.2025 के आलोक में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11(3) में निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 46 (2) में वर्णित प्राविधानों के अर्न्तगत नालन्दा कालेज ऑफ एजुकेशन, मियांवाला तिराहा, हरिद्वार रोड, देहरादून मे पूर्व से अस्थाई सम्बद्वता में संचालित बी0एड0 पाठ्यकम में 100 सीट के साथ **सत्र 2025–26** में संचालन हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण/निरन्तरता की स्वीकृति, निरीक्षण समिति द्वारा अंकित निम्न वर्णित कमियों/सुझावों के निस्तारण के प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है किः–

1. **All caculty members must be paid salary in accordance with UGC norms, effective prior to the commencement of the 2025-26 session.**
2. **The college must procure the prescribed number of books as per the latest syllabus for the B.Ed. course.**
3. **Fire NOC need to be renewed.**

अन्य प्रतिबन्ध निम्नवत होंगेः–

1. संस्थान द्वारा उक्त सम्बद्व पाठ्यकमों के संचालन हेतु यू0जी0सी0/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक व अन्य अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी अनिवार्य है, जिनको यू0जी0सी0/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप वेतनं देय होगा।
2. संस्थान द्वारा उक्तानुरूप नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सम्बन्धित के बैंक खातों में करते हुए आयकर निर्धारण हेतु नियमानुसार फार्म–16 जारी किया जाना अनिवार्य होगा। वेतन भुगतान की प्रति तिमाही सूचना तथा जारी फार्म–16 की सत्यापित प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध करावायी जानी होगी।
3. संस्थान द्वारा हे0नं0ब0ग0 विश्वविद्यालय से सम्बद्वता हेतु चिन्हित/निर्धारित परिसर में किसी भी अन्य विश्वविद्यालय के सम्बद्व पाठ्यकमों/दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्रो का संचालन नहीं किया जायेगा।
4. संस्थान द्वारा सम्बद्व पाठ्यकमों में प्रवेशार्थियों को नियमानुसार भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रदान करते हुए प्रवेश की तत्सम्बन्धी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवायी जानी अनिवार्य है।
5. कालेज/संस्थान में संचालित विषयों/पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में उनकी नियामक संस्थाओं द्वारा समय–समय पर जारी मान्यता/सम्बद्वता का आदेश उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
6. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कालेज/संस्थान से वांछित समस्त सूचनाओं/दस्तावेजों को निर्धारित समयान्र्तगत उपलब्ध करवाया जाना होगा। यदि विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गयी सूचनायें कालेज/संस्थान द्वारा निर्धारित समयान्र्तगत उपलब्ध न कराये जाने के कारण विश्वविद्यालय पर कोई जुर्माना/अर्थदण्ड लगता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कालेज/संस्थान को दोगुना जुर्माना/अर्थदण्ड विश्वविद्यालय को देना अनिवार्य होगा।
7. संस्थान को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी समस्त दिशा–निर्देशों का समयबद्व अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

उक्तानुसार **सत्र 2025–26** हेतु निर्गत इस अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण/निरन्तरता आदेश में उल्लिखित कमियों/सुझावों/प्रतिबन्धों की कार्यपूर्णता अनुपालन आख्या सम्बन्धित सत्यापित अभिलेखों सहित आवश्यक रूप से **31 दिसम्बर, 2025 तक** विश्वविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है **अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय स्टैडिंग समिति की अनुशंसा के कम में आपके कालेज/संस्थान की अग्रेत्तर सत्र हेतु सम्बद्वता विस्तारण/निरन्तरता के लिए विश्वविद्यालय पोर्टल खोला जाना तथा सम्बद्वता विस्तारण किया जाना सम्भव नही हो पायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके कालेज/संस्थान का होगा।**

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियंत्रक, हे0नं0ब0ग0 विश्वविद्यालय।
2. निदेशक, आई0क्यू0ए0सी0 हे0नं0ब0ग0 विश्वविद्यालय।
3. सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, हे0नं0ब0ग0 विश्वविद्यालय।
4. निजी सचिव कुलसचिव/वित्तअधिकारी, हे0नं0ब0ग0 विश्वविद्यालय।
5. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
6. कार्यालय प्रति।

कुलसचिव